


छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक : 21/6/2017

क्रमांक एफ-10- ५० /2017/वाक/पांच( 62 )-छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा, 22 जून, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 10, धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 139, धारा 146 और धारा 164 के उपबंध लागू होंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,




(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 21/6/2017

क्रमांक एफ-10- ५० /2017/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10- ५० /2017/वाक/पांच( 62 ), दिनांक 21/6/17 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,



(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव


**Government of Chhattisgarh  
Commercial Tax Department  
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur**

**NOTIFICATION**

Naya Raipur, dated : 21/6/2017

No. F-10-40/2017/CT/V ( 62 ) - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), the State Government hereby appoints the 22<sup>nd</sup> day of June, 2017, as the date on which the provisions of sections 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 and 164 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,

  
(A.P. Tripathi)  
Special Secretary